भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5251
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं</u>

5251. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितनी निधि प्राप्त हुई है;

(ख) गोरखपुर में सौर, पवन और जैव-ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गोरखपुर में उक्त स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और संचालन में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त जिले में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गोरखपुर में कार्बन-उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर एनसीईएफ का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ङ): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त विधेयक 2010-11 के माध्यम से उत्पादित/आयातित कोयले पर उपकर से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण कोष (एनसीईईएफ) का सृजन किया गया था। सभी राज्य एनसीईईएफ सहायता के लिए पात्र थे। इसके बाद, माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, जिसे अप्रैल, 2017 में अधिसूचित किया गया है, में यह प्रावधान है कि कोयला उपकर, कुछ अन्य उपकरों के साथ मिलकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा निधि का गठन होगा और इसका उपयोग राज्यों को पांच वर्षों के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण संभावित नुकसानों की क्षतिपूर्ति दूर करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

*****